

ऑनलाइन वेबसाइट पर करजा होगा इच्छुक व्यक्ति को आवंटन, शासकीय कार्यों में पाठ्यलिखा लाने की कवायद

अब ई मेल पर प्राप्त हो सकेंगे सभी विभागों के शासनादेश

हाइटेक | डिजिटल संवाद

अब हर कोई शासनादेश की जानकारी आसानी से हासिल कर सकेगा। बस इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को <http://shasanaदेश.in> पर ऑनलाइन आवंटन करते समय ई मेल आई डी देनी होगी। इसके बाद आवंटन का पंजीकरण हो जाएगा और उसकी ई मेल आई डी पर आपने आप शासनादेश पहुंचाने लेंगे।

ईएमपीएम अहमद खान ने कहा है कि आम आदमी को विभिन्न योजनाओं, नीतियों आदेशों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने तथा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शासनादेशों को ऑनलाइन डाला गया है। इंटरनेट पर अपलोड करने संबंधी योजना एक

जुलाई 2014 से सभी विभागों में लागू है। जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति आम लाइन शासनादेश की वेबसाइट <http://shasanaदेश.in> के मुख्यपृष्ठ पर जाकर नियमित प्रारूप पर पंजीकरण कराकर किसी एक विभाग

केरोजगार युवाओं को पंजीकरण के लिए अब सेवायोजन कार्यालय के चक्रकर कार्टने की आवश्यकता नहीं है। यह पर बैठे ही सेवायोजन विभाग की वेबसाइट www.sewajob.in पर आम लाइन आवंटन कर सकते। प्रदेश में समस्त सेवायोजन कार्यालयों में अब ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जिला सेवायोजन अधिकारी एके गुप्ता ने कहा है कि जनपद के जिन सेवायोजकों ने अभी तक विप्राणिय वेबसाइट पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे जल्दी से जल्दी अपना पंजीकरण करा लें। पंजीकरण की समस्त व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध है। सेवायोजन कार्यालय रिक्तियों की

हाइटेक | डिजिटल संवाद

सेवायोजन कार्यालय के पंजीकरण अब ऑन लाइन

सूचना प्रत्येक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्थानीय निकाय इत्यादि अधिकारियों में होने वाली समस्त रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करना अनिवार्य है। नियोजकों को अपने संस्थान में होने वाली रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय को भेजना अनिवार्य है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा भी जनपद के समस्त कार्यालयों/स्थानीय निकायों/अर्द्ध सरकारी/स्थानीय निकायों को समुचित निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि केरोजगार अभ्यर्थी अपना अर्जन लाइन पंजीयन अपने निकटमा साइबर कैफे, जनसुविधा केन्द्र, लोकबागी के माध्यम से अपने समस्त शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के

अंकपत्रों जाति तथा निकलाना प्रमाण पत्र, एच फोटो का निश्चित जिल्लावाइट (फोटो 50 किलोवाइट तथा अंकपत्र/प्रमाणपत्र 100 किलोवाइट) में स्कैन कर विभाग की वेबसाइट पर किये गये पंजीकृत मांडाईल नम्बर और पासवर्ड से लॉगिन करते और पोर्टल पर दिये गये। विवरण पूर्ण कर सुरक्षित करने के बाद सेवायोजन कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी के आवंटन पर कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सूचना अभ्यर्थी को पंजीकृत मांडाईल पर भेजे जा (संदेश) के माध्यम से प्राप्त होगी। सत्यापन की स्थिति में अभ्यर्थी अपना अभिज्ञान पर (एफस-10) मुख्य विकल्प से मुद्रित कर सकते हैं।